



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102021-230100
CG-DL-E-01102021-230100

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 54]
No. 54]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 1, 2021/आश्विन 9, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 1, 2021/ASVINA 9, 1943

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 2021

आ.अ. 56(अ).—यतः, हिमाचल प्रदेश राज्य की लोक सभा में **02-मण्डी** लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचित श्री राम स्वरूप शर्मा का स्थान उनकी मृत्यु होने के कारण दिनांक 17 मार्च, 2021 को रिक्त हो गया है, और

2. यतः, इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजनार्थ उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है:

3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 149 की उप-धारा (1) एवं धारा 30 और धारा 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा:-

(अ) हिमाचल प्रदेश राज्य के उक्त 02-मण्डी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार राज्य की लोक सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजनार्थ, एक व्यक्ति को निर्वाचित कर दिया जाए;

(आ) उक्त निर्वाचन के संबंध में, निम्नलिखित निर्धारित करता है:-

(क) नाम-निर्देशन करने हेतु अंतिम तारीख, 08 अक्टूबर, 2021 (शुक्रवार);

(ख) नाम-निर्देशनों की संवीक्षा करने हेतु अंतिम तारीख, 11 अक्टूबर, 2021 (सोमवार);

(ग) अभ्यर्थिताएँ वापस लेने हेतु अंतिम तारीख, 13 अक्टूबर, 2021 (बुधवार);

(घ) जिस तारीख को, यदि आवश्यक हुआ, तो मतदान कराया जाएगा, 30 अक्टूबर, 2021 (शनिवार);

(ङ) वह तारीख जिससे पहले निर्वाचन सम्पन्न हो जाएगा, 05 नवम्बर, 2021 (शुक्रवार);

- (ई) 08:00 बजे पूर्वाह्न से 06.00 बजे अपराह्न तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उपर्युक्त विनिर्दिष्ट तारीख को, मतदान करवाया जाएगा।

[फा. सं. 100/हि.प्र.-लो.स./1/2021]

आदेश से,

राहुल शर्मा, प्रधान सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2021

O.N. 56(E).— WHEREAS, the seat of **Sh. Ram Swaroop Sharma**, in the House of People elected from **02-Mandi Parliamentary Constituency** in the State of Himachal Pradesh, has become vacant on **17th March, 2021** by reason of his **death**; and

2. **WHEREAS**, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. **NOW, THEREFORE**, in pursuance of sub-Section (1) of Section 149, and Sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby: –

(A) Calls upon the said 02-Mandi Parliamentary Constituency in the State of Himachal Pradesh, to elect, before the 5th November, 2021 and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the House of the People;

(B) appoints, with respect to the said election, -

- (a) the 8th October, 2021 (Friday), as the last date for making nominations;
- (b) the 11st October, 2021 (Monday), as the date for the scrutiny of nominations;
- (c) the 13th October, 2021 (Wednesday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) the 30th October, 2021 (Saturday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) the 5th November, 2021 (Friday), as the date before which the election shall be completed; **and**

(C) fixes the hours from **8.00 AM to 6.00 PM**, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

[F. No. 100/HP-HP/1/2021]

By Order,

RAHUL SHARMA, Principal Secy.